"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2013— माघ 26, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-2/2011/1-8 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भर्ती नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, -

1. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 1 के कॉलम (6) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण.

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परिषद् से :-
हिन्दी शीघ्रलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में
एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री का 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी). "

2. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 2 के कॉलम (6) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण.

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परिषद् से :-
अंग्रेजी शीघ्रलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में
एक वर्षीय डिप्लोगा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री का 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी). "

3. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 7 के कॉलम (6) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण.

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी).

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में
एक वर्षीय डिप्लोगा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री का 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी). "

4. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 8 के कॉलम (6) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण.

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र.

(3) हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी). "

5. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 9 के कॉलम (6) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण.

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की **प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण**.

अथवा

10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से तीन वर्षीय डिप्लोमा.

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री का 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी.) "

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 फरवरी 2013

क्रमांक एफ 3-2/2011/1-8.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

Raipur, the 15th Febuary 2013

NOTIFICATION

No. F 3-2/2011/1-8.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Secretariat Service Recruitment Rules, 2012, namely :-

AMENDMENT

In Schedude of the said rules, -

1. In Schedule III, for the entries relating to column (6) of serial number 1, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board.

OR

Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) From any recognized Board/Institute/Stenography Typing Council :-

Passed Hindi Stenography Certificate Examination and 100 words per minute speed of Stenography (efficiency test for speed).

(3) One year Diploma/Cerificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of Data Entry 10,000 (Key) depression per hour is essential (efficiency test for speed)."

2. In Schedule III, for the entries relating to column (6) of serial number 2, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board.

OR

Passed old Higher Secondary with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) From any recognized Board/Institute/Stenography Typing Council :-

Passed English Stenography Certificate Examination and 100 words per minute speed of Stenography (efficiency test for speed).

(3) One year Diploma/Cerificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of Data Entry 10,000 (Key) depression per hour is essential (efficiency test for speed)."

3. In Schedule III, for the entries relating to column (6) of serial number 7, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board.

OR

Passed old Higher Secondary with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) 60 words per minute speed in Hindi Stenography (efficiency test for speed).

(3) One year Diploma/Cerificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of Data Entry 5,000 (Key) depression per hour is essential (efficiency test for speed)."

4. In Schedule III, for the entries relating to column (6) of serial number 8, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board.

OR

Passed old Higher Secondary with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) One year Diploma/Cerificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute.

(3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed)."

5. In Schedule III, for the entries relating to column (6) of serial number 9, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board.

OR

Passed old Higher Secondary with First year examination of Graduation Course from any recognized University.

OR

Passed 10th and Three Year Diploma from any recognized Institute.

(2) One year Diploma/Cerificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and speed of Data Entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed)."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.